कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव

अति अल्पकालीन निविदा सूचना

पत्रांकः– 28/आभिव्यं0/2023-24.149

दिनांकः 05-4-2023

समस्त सरकारी, अर्ध सरकारी विभागों एवं किसी भी पालिकाओं के पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों आदि को सूचित किया जाता है कि राज्य वित्त आयोग/बोर्ड फण्ड से नगर पालिका परिषद उन्नाव सीमान्तर्गत कराया जाने वाला निर्माण/विकास कार्य हेतु निविदा प्रतिशत दर पर आमंत्रित की जाती हैं। ठेकेदारों/फर्मों से मोहरबन्द निविदा दो लिफाफे लिफाफा–अ (तकनीकी निविदा) व लिफाफा–ब (वित्तीय निविदा) के रूप में आमंत्रित की जाती हैं। शासनादेश के अनुसार ठेकेदार को शपथपत्र देना होगा। निविदा के साथ 10 (दस) प्रतिशत धरोहर धनराशि एफ0डी0आर0/सी0टी0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0/जमा पुष्टि रसीद मूल रूप में संलग्न करना अनिवार्य होगा, इसके बिना निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। किसी भी निविदा के साथ धरोहर धनराशि के प्रमाण पत्रों (रसीदों की छायाप्रति) को संलग्न करने अथवा नम्बरों को दर्ज करने पर सम्बन्धित निविदा पर विचार नहीं किया जायेगा। अधोहस्ताक्षरी को बिना कारण बताये एक या सभी निविदाओं को निरस्त करने का अधिकार होगा एवं कोई भी निविदा सशर्त स्वीकार नहीं की जायेगी। सर्वन्यून निविदादाता को शासनादेश के अनुसार निविदा स्वीकृति उपरान्त पालिका में निर्धारित शुल्क, अभिलेख आदि जमा कर पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता पर विशेष ध्यान दिया जाये। भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा। निविदा से सम्बन्धित शर्तें/विस्तृत विवरण नगर पालिका परिषद, उन्नाव की वेबसाइट **http:www.unnaonpp.in** पर देखी व पढ़ी जा सकती है अथवा नगर पालिका परिषद उन्नाव के अभियंत्रण विभाग में किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त कर सकते हैं। कार्य का विवरण निम्नवत् है:–

क्र0 सं0	कार्य का नाम	वार्ड सं0	आगणन धनराशि	टेण्डर फार्म की कीमत कर सहित	10% धरोहर धनराशि	कार्य पूर्ण करने की अवधि	फर्म/ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7	8
01	पुलिस अधीक्षक कार्यालय के निकट क्रास एवं पुराने शौचालय, टेजरी कार्यालय, सामुदायिक शौचालय आदि तक नाली मरम्मत का कार्य।	6	492758.00	582.00	49276.00	एक माह	A,B,C,D,E

(a)	निविदा फार्म प्राप्त करने की तिथि व स्थान	06–04–2023 से 10–04–2023 तक, अभियंत्रण विभाग नगर पालिका परिषद उन्नाव।
(b)	निविदा डालने की तिथि, समय व स्थान	11–04–2023 को दिन 02:00 बजे तक कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव। (अधिशासी अधिकारी कक्ष)
(c)	तकनीकी निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान	11–04–2023 को दिन 03:00 बजे से कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव। (अधिशासी अधिकारी कक्ष)
(d)	वित्तीय निविदा खोलने की तिथि, समय व स्थान	11–04–2023 को दिन 04:00 बजे से कार्यालय नगर पालिका परिषद उन्नाव। (अधिशासी अधिकारी कक्ष)

अधिशासी अधिकारी
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

प्रशासक
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

पृष्ठांकन :– पत्रांक एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि :

1) जिलाधिकारी महोदया उन्नाव को सादर अवलोकनार्थ प्रेषित।
2) अपर जिलाधिकारी (न्यायिक)/प्रभारी अधिकारी स्थानीय निकाय महोदय, उन्नाव को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
3) कार्यालय नगर पालिका परिषद, उन्नाव के नोटिस बार्ड व वेबसाइट पर चस्पा हेतु।
4) सम्पादक, समाचार-पत्र दै. आज व दै. राष्ट्रीय उन्नाव को सरकारी दर पर कम से कम स्थान पर प्रकाशनार्थ।

5/4/23

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

Scanned with CamScanner

नगर पालिका परिषद उन्नाव।
निविदा की शर्तें

1– निविदा की विस्तृत विवरण व शर्तें पालिका वेबसाइट http://unnaonpp.in एवं नगर पालिका परिषद उन्नाव में किसी भी कार्य दिवस में देखा एवं पढ़ा जा सकता है।
2– उक्त निविदा मोहरबन्द निविदा दो लिफाफे लिफाफा–अ (तकनीकी निविदा) व लिफाफा–ब (वित्तीय निविदा) के रूप में आमंत्रित की जाती हैं।
3– कालम नं0 (5) में दर्शायी गयी धनराशि अभियंत्रण विभाग नगर पालिका परिषद उन्नाव में जमा कर टेण्डर फार्म प्राप्त किया जा सकता है।
4– प्रत्येक कार्य को पूर्ण करने की अनुमन्य अवधि कॉलम नं0 (7) में दर्शायी गयी है।
5– निविदा के साथ 10 प्रतिशत धरोहर धनराशि जो कॉलम नं0 6 में अंकित है, एफ0डी0आर0/सी0टी0डी0आर0/टी0डी0आर0/एन0एस0सी0/आदि के रूप में निविदा के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा।
6– कार्य किसी भी अन्य ठेकेदार/पेटी कान्ट्रेक्टर को हस्तान्तरित नहीं किया जायेगा, निविदा स्वीकृति के बाद यदि हस्तान्तरित की स्थिति पायी जाती है, तो अनुबन्ध निरस्त कर दिया जायेगा।
7– निविदा डालने से पूर्व निविदादाता कार्यस्थल का निरीक्षण अवश्य कर ले। निविदा के बाद किसी प्रकार की आपत्ति मान्य नहीं होगी।
8– **Tender Form** में दर्शित कार्य की मात्रा घट बढ़ सकती है।
9– अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद उन्नाव को बिना कोई कारण बताये एवं नोटिस दिये एक या समस्त निविदा निरस्त करने का पूर्ण अधिकार निहित होगा।
10– सशर्त निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी।
11– कार्य निर्धारित समय के अन्दर पूर्ण न करने पर नियमानुसार आर्थिक दण्ड लगाया जायेगा जिस पर कटौती ठेकेदार के बिल से की जायेगी यह दण्ड दो सप्ताह तक अधिकतम रु0 100/– प्रतिदिन तथा दो सप्ताह पश्चात् अनुबन्ध की धनराशि का अधिकतम 10 प्रतिशत तक अर्थ दण्ड लगाते हुए कार्य की जमा धरोहर धनराशि जब्त करते हुए अनुबन्ध निरस्त कर ठेकेदार/फर्म के विरूद्ध अनुबन्ध की शर्तों के अनुसार नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी अथवा अधिशासी अधिकारी/प्रशासक को विशेष परिस्थितियों में तर्कसंगत आधार पर आवश्यकतानुसार दण्ड आरोपित करने या बिना कोई दण्ड आरोपित किये समयवृद्धि का अधिकार होगा।
12– अपूर्ण अथवा सही ढंग से न भरी गई निविदायें स्वीकार नहीं की जायेंगी।
13– ठेकेदार को अवर अभियन्ता/सहायक अभियन्ता (सिविल) के निर्देशानुसार कार्य करना होगा। निर्माण कार्य का निरीक्षण अधिशासी अधिकारी/प्रशासक द्वारा अथवा अधिकृत सदस्यों द्वारा भी किया जा सकेगा। कार्य मानक के अनुसार न करने पर अधिशासी अधिकारी/प्रशासक के आदेशानुसार भुगतान बिल से कटौती की जायेगी तथा नियमानुसार अन्य कार्यवाही भी की जा सकती है।
14– यह कि सम्बन्धित कार्य की 10 प्रतिशत जमा जमानत धनराशि शासनादेश सं0 1319/नौ–9–21–45ज/21 नगर विकास अनुभाग–9 दिनांक 30 जून 2021 के साथ संलग्न मानक संचालन प्रक्रिया के अनुसार कार्य पूर्ण होने के 12 माह के पश्चात अभियन्ता यह प्रमाणित करेगा कि ठेकेदार/फर्म द्वारा निविदा की समस्त शर्तों के अनुसार कार्य पूर्ण कर लिया है तथा कार्य संतोषजनक है, कार्य का उपभोग सही ढंग से किया जा रहा है। तत्पश्चात ही सक्षम अधिकारी द्वारा जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।
15– किसी विवाद की दशा में अधिशासी अधिकारी/प्रशासक नगर पालिका परिषद, उन्नाव का निर्णय अन्तिम होगा जो उभय पक्ष को मान्य होगा।
16– ठेकेदार के बिल से शासन के निर्देशानुसार देय करों की नियमानुसार कटौती की जायेगी जो ठेकेदार को मान्य होगा।
17– निर्माण कार्य का सैम्पुल परीक्षण कराने के पश्चात ही कार्य का अन्तिम भुगतान किया जा सकेगा।
18– सम्बन्धित निर्माण कार्यों का भुगतान राज्य वित्त आयोग एवं पालिका निधि में उपलब्ध धनराशि से कार्यालय के नियमित वेतन, अधिष्ठान आदि के पूर्ण व्यय के बाद अवशेष धनराशि से अनुपातिक रूप से किया जायेगा।
19– स्वीकृत आगणन दर से न्यूनतम/अधिक दर पर निविदा डालने वाले निविदादाता को न्यूनतम/अधिक दर पर कार्य/आपूर्ति करने का तकनीकी जस्टीफिकेशन साथ में संलग्न करना अनिवार्य है। अन्यथा यह समझा जायेगा कि निविदा मात्र निविदा प्रक्रिया बाधित करने हेतु डाली गई है। ऐसी निविदा मान्य नहीं होगी।
20– यह कि शासनादेश सं0– 622/23–12–2ऑडिट/03टीसी दिनांक 08–06–2012 लोक निर्माण अनुभाग–12 के अनुसार बिलो निविदा डालने पर उक्त शासनादेश के अनुसार अलग से परफार्मेन्स गारन्टी जमा करना अनिवार्य होगा।
21– यह कि शासनादेश सं0– 3890/9–5–19–149सा/2019 दिनांक 20–09–2019 नगर विकास अनुभाग–5 के अनुसार स्थानीय निकायों में निर्माण एवं अन्य कार्यों के सम्बन्ध में आमंत्रित की जाने वाली निविदाओं में भाग लेने के लिये आवेदक निविदादाता का निकाय में पंजीयन आवश्यक नहीं होगा। निविदादाता की न्यूनतम निविदा प्राप्त/स्वीकृत होने के उपरान्त सम्बन्धित नगर पालिका परिषद में नियमानुसार निर्धारित शुल्क एवं अभिलेख जमा कर पंजीकरण कराना होगा। अन्यथा की दशा में स्वीकृत निविदा निरस्त कर दी जायेगी।
22– शासनादेश संख्या 609/नौ–9–2007–249ज/06 दिनांक 26–02–2007 के अनुसार राज्य बार कौंसिल में पंजीकृत किसी भी अधिवक्ता को ठेकेदारी में प्रतिभाग करने का अधिकार न होगा।
23– स्वीकृत निविदा से 10 प्रतिशत तक ही विचलन सामान्यतः सक्षम अधिकारी की स्वीकृतोपरान्त स्वीकार किया जा सकता है।
24– निविदा के साथ जिला मजिस्ट्रेट/कलेक्टर के हस्ताक्षर से जारी हैसियत प्रमाण–पत्र एवं चरित्र प्रमाण–पत्र मान्य होंगे। किसी अन्य अधिकारी द्वारा निर्गत प्रमाण–पत्र मान्य नहीं होंगे तथा प्रत्येक निविदादाता को नियमानुसार 100 रूपये के स्टाम्प पेपर पर निर्धारित प्रारूप पर स्व घोषणा पत्र इस आशय का कि निविदा के साथ संलग्न समस्त अभिलेख पूर्ण एवं सत्य हैं नोटरी द्वारा सत्यापित कराकर देना होगा।
25– उपरोक्त निर्माण कार्य का भुगतान धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।
26– स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त व्यय का भुगतान सक्षम अधिकारियों की स्वीकृतोपरान्त धन की उपलब्धता के आधार पर किया जायेगा।

Scanned with CamScanner

27– यह कि कार्यस्थल पर कार्य प्रारम्भ करने के पूर्व प्रोजेक्ट डिस्प्ले बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा। जिसमें कार्यदायी संस्था, ठेकेदार/फर्म, अवर अभियन्ता, सहायक अभियन्ता का नाम मो0 नं0 सहित तथा कार्य के नाम का स्पष्ट उल्लेख करना होगा।

28– यह कि किसी भी शर्त में शिथिलता बरतने का अधिकार उचित कारणों सहित अधिशासी अधिकारी/प्रशासक में निहित होगा।

29– कार्य प्रारम्भ करते समय कोरोना (कोविड–19) से सम्बन्धित जो भी शासन के दिशा निर्देश होंगे उनका अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

30– यह कि कार्य के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना की जिम्मेदारी सम्बन्धित फर्म/ठेकेदार की होगी।

31– यह कि कार्य के दौरान किसी प्रकार का यातायात प्रभावित न हो।

5/4/23

अधिशासी अधिकारी,
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

प्रशासक
नगर पालिका परिषद, उन्नाव।

Scanned with CamScanner